

दि स्टेट ट्रेडिंग कांफ़रिशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड: नई दिल्ली  
(औद्योगिक संबंध समूह)

एसटीसी/मुख्यालय/कार्मिक/औ.सं./02140/2014

20 नवंबर, 2020


शुद्धि-पत्र

**विषय: एसटीसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2020**  
**संदर्भ : परिपत्र सं.: औ.सं./31/2020, दिनांक 19.11.2020**

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में परिपत्र सं.:औ.सं./31/2020, दिनांक 19.11.2020 का संदर्भ लें।

2. ऊपर संदर्भित परिपत्र के हिंदी पाठ के पैरा 6.10 को निम्नानुसार पढ़ा जाए :-

6.10 एक बार कोई कर्मचारी एसटीसी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ उठाता है, तो उसे किसी अन्य सीपीएसई / राज्य पीएसई / सरकारी संगठन / स्वायत्त निकाय / केंद्रीय/राज्य सरकार के अधीन अधीनस्थ कार्यालय / कोआपरेटिव संगठन में रोजगार लेने की अनुमति नहीं होगी। यदि वह ऐसा करना चाहता/चाहती है, तो उसे प्राप्त अनुग्रही राशि एसटीसी को लौटानी होगी, इस वजह से कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी को बची हुई सेवा के लिए प्रतिपूर्ति की जा चुकी है। यदि एसटीसी को बंद/विलय कर दिया जाता है, तो अनुग्रही राशि सीधे भारत सरकार को लौटानी होगी।

  
(एस.के. मीणा)

संयुक्त महाप्रबंधक (कार्मिक)

**प्रतिलिपि:**

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव
- सभी निदेशकों/मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यकारी सचिव
- सभी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक-वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी
- सभी प्रभागध्यक्ष/सभी शाखा प्रबंधक
- उप महाप्रबंधक (लेखा एवं स्थापना)
- महासचिव, एसटीसी कर्मचारी संघ का परिसंघ, नई दिल्ली
- महासचिव, एसटीसी ऑफिसर्स एसोसिएशन का परिसंघ, नई दिल्ली
- महासचिव, एसटीसी अखिल भारतीय अनु.जाति/जनजाति कर्मचारी संघ का परिसंघ, नई दिल्ली
- सूचना पट्ट
- एसटीसी वेबसाइट

**THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD: NEW DELHI**

(INDUSTRIAL RELATIONS GROUP)

F. NO: STC/CO/PER/IR/02140/2014

November 20, 2020

**CORRIGENDUM**

**Sub.: STC VOLUNTARY RETIREMENT SCHEME-2020**

**Ref.: Circular No: IR/31/2020 dated 19.11.2020**

This has reference to Circular No: IR/31/2020 dated 19.11.2020 on the subject.

2. Para 6.10 of the above referred Circular in Hindi Version to be read as hereunder:

6.10 एक बार कोई कर्मचारी एसटीसी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ उठाता है, तो उसे किसी अन्य सीपीएसई / राज्य पीएसई / सरकारी संगठन / स्वायत्त निकाय / केंद्रीय/राज्य सरकार के अधीन अधीनस्थ कार्यालय / कोआपरेटिव संगठन में रोजगार लेने की अनुमति नहीं होगी। यदि वह ऐसा करना चाहता/चाहती है, तो उसे प्राप्त अनुग्रही राशि एसटीसी को लौटानी होगी, इस वजह से कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी को बची हुई सेवा के लिए प्रतिपूर्ति की जा चुकी है। यदि एसटीसी को बंद/विलय कर दिया जाता है, तो अनुग्रही राशि सीधे भारत सरकार को लौटानी होगी।

  
(S.K. Meena) 20/11/2020

Jt. General Manager (Pers.)

**Copy to**

- Exe. Secy. to CMD
- Exe. Secys.to all Directors/CVO
- All CGMs/GM-F & CFO
- All Divisional Heads/All BMs
- DGM (F) (A&E)
- SG, Fed. of STCEUs, New Delhi
- SG, Fed of STCOAs, New Delhi
- SG, All India Fed. of STC SC/ST Emp. Association, New Delhi
- Notice Board
- STC Website